राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2420 / 2023

डॉ. राजेश कुमार कुमावत –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रुप–2, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नीमकाथाना।
4. खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक खेतड़ी जिला नीमकाथाना।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टीबा बसई ब्लॉक खेतड़ी जिला नीमकाथाना में कार्यरत है। इस अपील में अपीलार्थी ने खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खेतड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी की ड्यूटी पुलिस थाना मेहाडा जाटुवास के अधिन आने वाले एमएलसी एवं पोस्टमार्टम के कार्य हेतु लगाई गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है और अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण किये जाने का अधिकार खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नहीं है। खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपीलार्थी का स्थानांतरण करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। ऐसे में आलोच्य आदेश विधि–विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. आलोच्य आदेश में कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खेतड़ी द्वारा पुलिस थाना मेहाडा जाटुवास के अधिन आने वाले एमएलसी एवं पोस्टमार्टम के कार्य हेतु अपीलार्थी की ड्यूटी लगाई गई है। उपरोक्त आदेश चिकित्सा संबंधी कार्यवाही सुचारू रूप से किये जाने हेतु ड्यूटी लगाये जाने का आदेश है, जिस आदेश को पदस्थापन अथवा स्थानांतरण आदेश होना नहीं माना जा सकता। ऐसे में हम यह नहीं पाते हैं कि खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खेतड़ी द्वारा बिना अधिकार के आदेश पारित किया हो।
5. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)